रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14012025-260219
CG-DL-E-14012025-260219

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 237] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 13, 2025/पौष 23, 1946
No. 237] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 13, 2025/PAUSHA 23, 1946

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जनवरी, 2025

का.आ. 239(अ).—केंद्रीय सरकार ने, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, सिक्किम के चारों ओर एक पारिस्तिथिकी संवेदी जोन घोषित करने के लिए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में, संख्यांक का.आ. 2166(अ), तारीख 27 अगस्त, 2014 द्वारा एक अधिसूचना जारी की थी ;

और, केंद्रीय सरकार की यह राय है कि उक्त अधिसूचना का संशोधन करना लोकहित में आवश्यक और समीचीन है ;

और, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 का उपनियम (4) यह उपबंध करता है कि जब भी केंद्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि ऐसा करना लोकहित में है, तो वह पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) के अधीन सूचना की अपेक्षा से अभिमुक्ति दे सकती है ;

और, केंद्रीय सरकार की यह राय है कि अधिसूचना संख्यांक का.आ. 2166 (अ), तारीख 27 अगस्त, 2014 का संशोधन करने के लिए पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) के अधीन सूचना की अपेक्षा से अभिमुक्ति देना लोकहित में है;

अत:, अब, केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में, संख्यांक का.आ. 2166 (अ), तारीख 27 अगस्त, 2014 द्वारा प्रकाशित, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:--

उक्त अधिसूचना में, पैरा 5 के स्थान पर, निम्नलिखित पैरे रखे जाएंगे, अर्थात्:--

"5. मानीटरी समिति--(1) केंद्रीय सरकार, इस अधिसूचना के उपबंधों की प्रभावी मानीटरी के लिए एक मानीटरी समिति का गठन करती है, जो निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर बनती है, अर्थात्:

(i)	मुख्य सचिव, सिक्किम सरकार	अध्यक्ष, पदेन ;
(ii)	मुख्य वन्य जीव वार्डन, सिक्किम सरकार	सदस्य, पदेन ;
(iii)	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सिक्किम सरकार	सदस्य, पदेन ;
(iv)	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का प्रतिनिधि	सदस्य, पदेन ;
(v)	गोविंद बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संस्थान, क्षेत्रीय केंद्र सिक्किम से पारिस्थितिकी/पर्यावरण/वन्यजीव में एक विशेषज्ञ जिसे प्रत्येक तीन वर्ष की अवधि के लिए सिक्किम सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा	सदस्य ;
(vi)	पर्यावरण/वन्यजीव (विरासत संरक्षण सहित) के क्षेत्र में काम करने वाले एक गैर-सरकारी संगठन का एक प्रतिनिधि, जिसे सिक्किम सरकार द्वारा प्रत्येक तीन वर्ष की अवधि के लिए नामनिर्दिष्ट किया जाएगा	सदस्य ;
(vii)	ग्रामीण प्रबंधन और विकास विभाग, सिक्किम सरकार का एक प्रतिनिधि	सदस्य, पदेन ;
(viii)	कृषि विभाग, सिक्किम सरकार का एक प्रतिनिधि	सदस्य, पदेन ;
(ix)	शहरी विकास एवं आवास विभाग, सिक्किम सरकार का एक प्रतिनिधि	सदस्य, पदेन ;
(x)	संबंधित जिला कलेक्टर	सदस्य, पदेन ;
(xi)	प्रभागीय वनाधिकारी (संरक्षित क्षेत्र के प्रभारी)	सदस्य, पदेन ;
(xii)	मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव)	सदस्य-सचिव, पदेन ।

(2) मानीटरी समिति, वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर 2006 की अनुसूची में आने वाले क्रियाकलापों और उसके पैरा 4 के अधीन सारणी में विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आने वाले और उस अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरणीय अनुमति के लिए, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण को निर्दिष्ट क्रियाकलापों की संवीक्षा करेगी ।

IndiaCode

(3) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, उपपैरा (2) में निर्दिष्ट अधिसूचना की अनुसूची में नहीं आने वाले क्रियाकलापों, और जो पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(4) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध कलेक्टर या उप वन संरक्षक, ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, जो इस अधिसूचना के उपबंधों का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा ।

(5) मानीटरी समिति, मामले दर मामले के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए, विभाग के प्रतिनिधि या विशेषज्ञ, उद्योग संगमों या पणधारियों के प्रतिनिधि को, अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए, आमंत्रित कर सकेगी ।

(6) मानीटरी समिति, प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक की अवधि के अपने क्रियाकलापों की वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट, उस वर्ष की 30 जून तक उपाबंध- III में विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में मुख्य वन्यजीव वार्डन को प्रस्तुत करेगी ।

(7) केंद्रीय सरकार, मानीटरी समिति को उसके कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए, लिखित में ऐसे निदेश दे सकेगी, जो वह उचित समझे ।

[फा. सं. 25/15/2013-ईएसजेड/आरई]

डॉ. एस. केरकेट्टा, वैज्ञानिक 'जी'

टिप्पण.- मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना संख्यांक का0आ0 2166(अ), तारीख 27 अगस्त, 2014 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अंतिम बार संख्यांक का0आ0 4949(अ), तारीख 16 नवम्बर, 2023 द्वारा संशोधित की गई।

IndiaCode

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th January, 2025

S.O. 239(E).—WHEREAS, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1), clauses (v) and (xiv) of sub-section (2), and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, issued a notification to declare an Eco-Sensitive Zone around Khangchendzonga National Park, Sikkim in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 2166(E), dated the 27th August, 2014;

AND WHEREAS the Central Government is of the opinion that it is necessary and expedient in the public interest to amend the said notification;

AND WHEREAS sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 provides that whenever it appears to the Central Government that it is in the public interest to do so, it may dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986;

AND WHEREAS the Central Government is of the opinion that it is in the public interest to dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 for amending the notification number S.O. 2166(E), dated the 27th August, 2014;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1), clauses (v) and (xiv) of sub-

section (2) and sub-section(3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), number S.O. 2166(E), dated the 27th August, 2014, namely:-

In the said notification, for paragraph 5, the following paragraphs shall be substituted, namely: -

"5. Monitoring Committee. - (1) The Central Government hereby constitutes a committee for effective monitoring of the Provisions of this notification consisting of the following persons, namely:-

(i)	Chief Secretary, Government of Sikkim	Chairman, ex officio;
(ii)	Chief Wild Life Warden, Government of Sikkim	Member, ex officio;
(iii)	Principal Chief Conservator of Forest, Government of Sikkim	Member, ex officio;
(iv)	Representative of State Pollution Control Board	Member, ex officio;
(v)	One expert in ecology/environment/wildlife from Govind Ballabh Pant National Institute of Himalayan Environment, Regional Centre Sikkim shall be nominated by the Government of Sikkim after every three years	Member;
(vi)	One representative of a Non-Governmental Organization working in the field of Environment/Wildlife (including heritage conservation) shall be nominated by the Government of Sikkim after every three years	Member;
(vii)	One Representative of Rural Management and Development Department, Government of Sikkim	Member, ex officio;
(viii)	One Representative of Agriculture Department, Government of Sikkim	Member, ex officio;
(ix)	One Representative of Urban Development and Housing Department, Government of Sikkim	Member, ex officio;
(x)	Concerned District Collector	Member, ex officio;
(xi)	Divisional Forest Officer (In-charge of PA)	Member, ex officio;
(xii)	Chief Conservator of Forest (Wild Life)	Member Secretary, ex officio.

(2) The Monitoring Committee shall, based on the actual site-specific conditions scrutinise, the activities covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest, vide number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities specified in the Table under paragraph 4 thereof, and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change or the State Environment Impact Assessment Authority, as the case maybe, for prior environmental clearances under the provisions of that notification.

(3) The activities not covered in the Schedule to the notification referred to in sub-paragraph (2) and falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the regulatory authorities concerned.

(4) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector or the Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaint under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.

(5) The Monitoring Committee may invite a representative or expert from the Department, a representative from industry associations or stakeholders to assist the committee in its deliberations depending on the requirements on a case to case basis.

(6) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities for the period up to the 31st March of every year to the Chief Wildlife Warden in pro forma specified in Annexure- III by the 30th June of that year.

IndiaCode

(7) The Central Government may give such directions in writing, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions".

[F. No. 25/15/2013-ESZ/RE]

DR. S. KERKETTA, Scientist "G"

Note.- The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide notification number S.O. 2166(E), dated the 27th August, 2014 and was last amended vide number S.O. 4949(E), dated the 16th November, 2023.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2025.01.14 15:51:37 +05'30'